

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266940
SG-DL-E-15102025-266940असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 278
No. 49]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947	[N. C. T. D. No. 278

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2025

फा.सं. 72/गजट/पी.एफ/अधिवर्षिता/2025.— सुश्री इला रावत, प्रभारी न्यायाधीश (मध्यस्थता केंद्र), केन्द्रीय जिला, तीस हजार की कोर्ट, दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2026 (अपराह्न) को 60 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएँगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री इला रावत के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत किसी प्रकार की अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही लम्बित/विचाराधीन नहीं है।

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 10th October, 2025

F. No. 72 /Gaz/P.F./Superannuation/2025.—Ms. Illa Rawat, Judge In-charge (Mediation Centre), Central District, Tis Hazari Court, Delhi, shall stand retired from Delhi Higher Judicial Service in the afternoon of 31st January, 2026 on attaining the age of superannuation of 60 years.

It is certified that no disciplinary/departmental proceedings under All India Service (Discipline & Appeal) Rules, 1969 is pending or contemplated against Ms. Illa Rawat.

By Order of The Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General